



R.A. for
report
15/10/21

सेवा में,

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

तिजारा, जिला अलवर (राजस्थान)

राजस्व वाद सं० : ~~143~~ / 2021
~~76-6-21~~

1- रमजान पुत्र घमेशिंह, जाति मेव, निवासी रामबास झोपडी, तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) :—वादी

बनाम

- 1- ईसाक पुत्र घमेशिंह
- 2- ईसरईन पुत्र घमेशिंह
- 3- इरफान पुत्र अब्दुल रज्जाक नाबालिग जरिये माता श्रीमति सकीना
- 4- इस्लामुदीन पुत्र अब्दुल रज्जाक
- 5- कबीर खां पुत्र अब्दुल रज्जाक नाबालिग माता श्रीमति फिरदोष
- 6- जीतन पुत्री अब्दुल रज्जाक नाबालिग माता श्रीमति सकीना
- 7- फरजाना पुत्री अब्दुल रज्जाक
- 8- फीरदोष पत्नी अब्दुल रज्जाक
- 9- वारिस खां पुत्र अब्दुर रज्जाक नाबालिग
- 10- समीना पत्नी अब्दुल रज्जाक जाति मेवान निवासी रामबास झोपडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
- 10- ज्योत्सना सैनी पत्नी देवेन्द्र जाति माली निवासी नई दिल्ली
- 11- श्रीमान तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:—प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

बयान दावा मिन वादी की ओर से निम्न पेश हैं:—

- 1- यह है कि वाके ग्राम रामबास झोपडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित हाल आराजी खसरा नं. 713, रकबा 0.20 है, 714 रकबा 0.28 है, 768 रकबा 0.15 है, 769 रकबा 0.22 है, 793 रकबा 0.14 है, 794 रकबा 0.14 है, 822 रकबा 0.24 है, 824 रकबा 0.24 है, 825 रकबा 0.24 है, 825 रकबा 0.24 है, 826 रकबा

विभाग

- 1) कोर्ट की कार्यवाही में
- 2) न्यायालय कार्यवाही में
- 3) राज्य लोकपालिका को अर्पित कार्य में

15/6/21

S.O. H/M

Register & Issue Notice

14/6/21

27/21

पत्रावली प्रसारण की दिनांक 13/04/22 को संपन्न-2021 कोर्ट कोर्ट में पंचायत मुद्दा में लु. 4.1.2.1 पर पेश हुई। पक्षकाराने उक्त मुद्दा में पेश की गई कोर्ट के अन्तर्गत प्रकरण का निष्पत्ति नहीं हो सका। अतः पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही में निहित लु. 4.1.2.2 को न्यायालय द्वारा पेश हो।

6/11

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक फौजदार, तिजारा (अलवर)

01/04/22 पत्रावली पेश की गयी पत्रावली दिनांक 13/04/22
21 पेश की गयी
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

13/04/2022

आज पत्रावली पेश की गयी अवाज लगाई, कार्य आधी अनुपलब्ध बाद-2 अवाज लगाने पर भी कार्य आधी अनुपलब्ध अतः पत्रावली अदम हाजरी क अदम पेशी में जारी किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय बाद तकनीक नंबर से कम होकर दाखिल इन्फार्मेशन की

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)